झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

प्ली बार्गेनिंग

एक नयी सुबह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के द्वारा प्ली बार्गेनिंग पर एक नए अध्याय XXI-A धारा (265A से 265L) को शामिल किया गया। ये 05.07.06 से प्रभाव में आया।

प्ली बार्गेनिंग समझौते का एक तरीका है जिसके अंतर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है।

इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है जिनके लिए कानून में 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है किन्तु

1. राष्ट्र की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले अपराधों पर और किसी महिला और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरूद्ध किये गये अपराधों पर यह लागू नहीं होता।
2. किसी किशोर या बच्चे पर यह लागू नहीं होगा जिसे बाल न्याय (बच्चे की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2000 की धारा (2) के खंड (ज्ञ) में परिभाषित किया गया है।

- अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग के लिए शपथ सहित आवेदन उसी न्यायालय में दाखिल कर सकता है जिसमें उसके द्वारा किए गए अपराध से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है।
- प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन में मुकदमें व अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहिए।
- प्ली बार्गेनिंग के आवेदन के साथ अभियुक्त का शपथ पत्र भी होगा कि उसने कानून के द्वारा उसके अपराध के लिए दी गई सजा की प्रकृति एवं समयावधि को समझने के बाद अपनी इच्छा से प्ली बार्गेनिंग का चुनाव किया है और अभियुक्त किसी भी न्यायालय के द्वारा **इस अपराध के लिए पहले कभी दोषी नहीं ठहराया गया है।**

न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग का आवेदन अपनी इच्छा से किया है उससे एकांत में पूछताछ करेगा जहाँ पर दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होगा।

यदि न्यायालय संतुष्ट है कि यह आवेदन अभियुक्त ने स्वेच्छा से दाखिल किया है और अभियुक्त इसी अपराध के लिए किसी न्यायालय के द्वारा पहले दोषी नहीं पाया गया है तो न्यायालय लोक–अभियोजक, अभियुक्त एवं शिकायतकर्ता को मुकदमे का आपसी समझौते से निपटारा करने को कहती है जिसमें अभियुक्त के द्वारा पीड़ित को हुए नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति भी शामिल होती हैं।

यदि मुकदमे का संतोषजनक हल हो जाता है तो न्यायालय उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी और समझाते की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं।

न्यायालय पीड़ित पक्ष को समझौते के अनुसार निश्चित मुआवजे देने का आदेश देता है और सभी पक्षों की राजा की मात्रा पर सुनवाई करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अंतर्गत न्यायालय अभियुक्त को नेक चलनी पर या भर्त्सना

करने के पश्चात् या कम सजा पर छोड़ सकता है।

यदि अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध के लिए कानून में न्यूनतम सजा का प्रावधान है तो न्यायालय अभियुक्त को उस न्यूनतम सजा की आधी सजा तक दे सकता है।

यदि अभियुक्त को अच्छे चाल–चलन पर अथवा भर्त्सना के पश्चात् छोड़ा नहीं जा सकता तो न्यायालय अभियुक्त को कानून के द्वारा उसके अपराध के लिए दी गई अधिकतम सजा की एक चौथाई तक सजा दे सकता है।

प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और उस निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती। अपवादस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका या अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जा सकती है।

यदि अभियुक्त ने प्ली बार्गेनिंग का आवेदन स्वेच्छा से नहीं किया है या अभियुक्त उस अपराध के लिए किसी न्यायालय के द्वारा पहले दोषी ठहराया गया है या आपसी

सहमति से मुकदमें का निपटारा नहीं होता है तो प्ली बार्गेनिंग के आवेदन के लिए दिए गए तथ्य और बयान का इस्तेमाल प्ली बार्गेनिंग के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है।

प्ली बार्गेनिंग के लाभ :

* वह प्रक्रिया जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की सहायता करती है जो कि लंबे समय से जेलों में बंद है। यह प्रक्रिया उनके लिए वरदान है।
* यह प्रक्रिया अभियुक्त को सजा के कठोर दंड से बचने का अवसर प्रदान करती है।
* यह प्रक्रिया जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है और जेलों में भीड़–भाड़ को कम करती है।
* यह प्रक्रिया अभियुक्त और पीड़ित को लंबे, महंगे एवं तकनीकी अदालती प्रक्रिया को सहे बिना जल्दी न्याय दिलवाती है।
* यह प्रक्रिया न्यायालयों एवं अभियोजकों को मुकदमों के भार के प्रबंधन में और न्यायालयों के भारत को कम करने में सहायता करती है।
* यह आपराधिक मुकदमों का कम समय में निपटारा निश्चित करती है जो कि बहुत समय से विचाराधीन है और आरोपी, पीड़ित एवं गवाहों के उत्पीड़न का कारक है।
* इस प्रक्रिया में आपराधिक मुकदमों का निपटारा शीघ्रता से होता है क्योंकि प्ली बार्गेनिंग में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है और वह निर्णय अंतिम होता है।
* यह प्रक्रिया न्यायालयों के समय और विचारण और अपील के साथ हर स्तर पर न्यायाधीशों के काम–काज पर राज्यों की लागत की बचत करती है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:

न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

ए0जी0 ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2431520, 2462392, फैक्स : 0651–2462397

अथवा

अपने जिले के व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार